मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ताआर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :–400/2021

जगदीशसिह पुत्र गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी सिलवालाखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादी

बनाम

1. अमरजीत कौर पुत्री गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द हाल आबाद चक 1 एस.एच. घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. मेलकौर पत्नी चाननसिह जाति जटसिख निवासी सिलवालाखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. रघुवीरसिह पुत्र गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी सिलवालाखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. संदीपसिह पुत्र स्व0 करमजीत कौर जाति जटसिख निवासी चक 1 एस.एच. घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
5. लखविन्द्रकौर पुत्री स्व0 करमजीत कौर जाति जटसिख निवासी चक 1 एस.एच. घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
6. बेअन्तकौर पुत्री स्व0 करमजीत कौर जाति जटसिख निवासी चक 1 एस.एच. घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
7. सुखविन्द्रकौर पुत्री स्व0 करमजीत कौर जाति जटसिख निवासी चक 1 एस.एच. घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 22.07.2024

वादी की ओर से श्री विकास शर्मा अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री महेन्द्रमोहन सारस्वत की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.07.2024 को स्वाति गुप्ताआर.ए.एस. पदेन सहायक कलक्टर [illegible] अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया [illegible] है [illegible] डिक्री दी जाती है कि चक नगराणा 650 आर.डी. के जमाबन्दी संवत 2075 [illegible] खाता संख्या 52/50 में कुल 5.566 हैक्टर नहरी आराजी में प्रतिवादीया संख्या [illegible] अमरजीतकौर का 35/5566 हिस्सा, प्रतिवादीया संख्या 2 मेलकौर का 20/2783 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 रघुवीरसिह का 73/2783 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 की माता करमजीत कौर का 35/5566 हिस्सा की आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.05 11:50:07 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 650 आर.डी. के खाता संख्या 52/50 मे से अमरजीतकौर, करमजीतकौर, मेलकौर व रघुवीरसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवंम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.05 11:50:07 IST
Reason: SelfAttested